(ड.) क्या निगम में मनोनीत सदस्यों ने भी इस उच्च-स्तरीय समिति के विघटन के लिये आग्रह किया हैं यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) उच्च-स्तरीय समिति का पुनर्गठन करने संबंधी दिनांक 4.12.1995 के आदेश की प्रति संलग्न हैं (नीचे देखिए) । समिति का पुनर्गठन इस लिए किया गया हैं ताकि घरेलू उपयोग अथवा निर्यात करने के लिए खुली बिक्री से संबंधित प्रमुख अधिकारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकें। यह खाद्यान्नों के आयात से संबंधित नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का सीधे निर्यात नहीं कर रहा हैं। यह निर्यातकों को उस मूल्य पर चावल की बिक्री करता हैं जो सरकारी मार्गदर्शी सिद्वांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं और घरेलू खपत के लिए की जा रही खुली बिक्री से अधिक होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) सरकार को निगम के निदेशक मंडल के नामित सदस्य से समिति का पुनर्गठन करने के लिए कुछ सुझाव मिले हैं जिसमें उन्होने उत्पादकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों, मिल-मालिकों आदि के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का सुझाव दिया हैं। तथापि, समिति के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं समझा गया हैं।

विवरण

संख्या: 4-1/95-इम्पैक्स (वाल्यूम-I)

भारत सरकार

खाद्य मंत्रालय

खाद्य प्रापण और वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर, 95

कार्यालय आदेश

इस विभाग के दिनांक 17.11.1995 के समसंख्यक कार्यालय आदेश द्वारा घरेलू खपत और निर्यात के लिए गेहूं और निर्यात के लिए गेहूं और चावल के खुली बिक्री से संबंधित भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत गठित की गई दो उच्च स्तरीय समितियों को मिलाकर भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बना दिया गया हैं जिसमें कार्यकारी निदेशक, बिक्री/वाणिज्य/वित्त/ट्रैफिक, भारतीय खाद्य निगम सदस्य के रूप में शामिल होंगें।

2. इस मामले पर पुन: विचार किया गया हैं और खाद्य मंत्री की मंजूरी से यह निर्णय लिया गया हैं कि उच्च स्तरीय समिति के गठन में परिर्वन किया जाए। तदनुसार, दिनांक 17.11.1995 के कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए समिति का परिवर्तित स्वरूप निम्नानुसार होगा:

1. अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम अध्यक्ष

2. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य सदस्य
निगम

3.आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग सदस्य

4. रेल बोर्ड का प्रतिनिधि सदस्य

5. संयुक्त सचिव (खाद्य) खाद्य प्रापण और वितरण सदस्य
विभाग

3. पुनर्गठित उच्चस्तरीय समिति समय-समय पर भारतीय खाद्य निगम को जारी किए गए सरकारी अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्वांतो के अनुसार घरेलू खपत और निर्यात के प्रयोजन के लिए गेहूं और चावल, दोनों की खुली बिक्री के संबंध में दरों/समझौतें/ठेकों आदि सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सरकार के अंतिम आदेश/निर्णय के लिए सिफारिशें देगी।

हस्ता./-

(डी. सुधाकरन)

अवर सचिव, भारत सरकार।

Implementation of Orders for Revision of Grades in Super Bazar

2137. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the Super Bazar's Sales Assistants Federation has urged the Government to implement the orders of the High Court and Central Administrative Tribunal (CAT) regarding the revision of grades;

(b) whether Government propose to implement these orders of the Court and the Tribunal; and

(c) if so, the likely time to be taken for implementing them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) It has been reported by the Super Bazar that the Labour Department of Delhi Administration has referred the dispute regarding the revision of pay scales of the employees of Super Bazar to Industrial Tribunal No. II, Delhi for adjudication in 1987.

The dispute is still pending before the Tribunal and has not been finally decided.

(b) and (c) Do not arise.

Procurement of foodgrains

2138. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the quantity of procurement in lakh tonnes of rice and wheat during the last three years;

(b) the corresponding movement in lakh tonnes;

(c) how far the movement is lagging behind the procurement;

(d) the amount of stock as on date in surplus areas *i.e.* Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Andhra Prades; and

(e) the stock and idle storage capacity in deficit area, state-wise?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) The details are given below:

(lakh tonnes)

Year	Wheat	Rice	Total
1992-93	63.79	130.43	194.22
1993-94	128.36	142.60	270.96
1994-95	118.68	135.83	254.51

(b) The details are given below:

(lakh tonnes)

Year	Total movement
1992-93	188.96
1993-94	191.67
1994-95	167.92

(c) The figures are as under:

(lakh tonnes)

Year	Procurement	Movement	Shortfall	Percentage
1992-93	194	189	5	3%
1993-94	271	192	79	29%
1994-95	255	168	87	34%

(d) The figures are given below:

(lakh tonnes)

Region	Rice	Wheat	Total
Punjab	62.32	75.05	137.37
Haryana	9.11	27.08	36.19
U.P.	9.59	14.18	23.77
M.P.	8.21	4.97	13.18
A.P.	4.47	1.26	5.73
TOTAI ..:	93.7	122.54	216.24

(c) The statement is enclosed.